मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०१६

मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, २०१६

विनियोग अधिनियमों का निरसन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, २०१६ है.

विनियोग अधिनियमों का निरसन. २. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का उसके चौथे कॉलम में वर्णित की गई सीमा तक एतद्द्वारा निरसन किया जाता है.

व्यावृत्ति. ३. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से, किसी अन्य अधिनियमिति पर, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, सम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई है, प्रभाव नहीं पड़ेगा:

और यह अधिनियम पूर्व में ही की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम पर या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व पर, या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही पर या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग पर या उससे किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन पर या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति पर या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा:

और यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम पर या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के रूप में या अनुक्रम पर, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पर या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी प्रभाव नहीं डालेगा कि वह क्रमश: किसी ऐसी अधिनियमिति द्वारा, जो कि एतद्द्वारा, निरसित की गई है, उसमें या उससे किसी रीति में अभिपुष्ट किया गया है या मान्यताप्राप्त है या व्युत्पन्न है:

और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से किसी अधिकारिता, पद, दायित्व अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात का, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुन: प्रवर्तन या प्रत्यावर्तन नहीं होगा:

और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमितियों का निरसन संपरीक्षा, परीक्षा, लेखा, अन्वेषण, जांच पर या किसी प्राधिकारी द्वारा उसके सम्बन्ध में की गई या की जाने वाली किसी अन्य कारवाई पर प्रभाव नहीं डालेगा और ऐसी संपरीक्षा, परीक्षा, लेखा, अन्वेषण, जांच या कार्रवाई इस प्रकार की जा सकेगी और, या जारी रखी जा सकेगी मानो कि उक्त अधिनियमितियों को इस अधिनियम द्वारा निरसित ही नहीं किया गया हो.

अनुसूची

(धारा २ देखिए)

निरसन

वर्ष (१)	क्रमांक (२)	संक्षिप्त नाम (३)	निरसन की सीमा (४)
१९८०	१७	मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, १९८०	संपूर्ण
१९८०	१८	मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, १९८०	संपूर्ण
१९९३	१५	मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, १९९३	संपूर्ण
१९९३	१६	मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, १९९३	संपूर्ण
१९९३	५८	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक २) अधिनियम, १९९३	संपूर्ण